न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्रकरण संख्याः– 55/2013 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2017/00248), पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. प्रेमवती वेवा पदमा
2. सोहनलाल
3. वेदप्रकाश } पुत्रगण पदमा जातियान नाई नि0 ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग(राज0)

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

–प्रति0

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट,

निर्णय **दिनांकः 23.01.2025**

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 2369/0.27,वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग में स्थित है। विवादित आराजी में वादिनी संख्या 1 के पति व वादीगण संख्या 2 व 3 के पिता पदमा पुत्र गोपी जाति नाई नि0 खेडा ब्राह्मण तहसील डीग को करीव 39–40 साल पूर्व राज्य सरकार द्वारा एलॉट की गई थी और एलॉट होने के बाद से ही वादीगण के पति एवं पिता उक्त आराजी मुत0 पर बतौर एलॉटी गैर खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। कुछ अरसा पूर्व वादीगण के पिता एवं पति की मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु के बाद से उक्त विवादित आराजी पर वादीगण काबिज बतौर वारिस खातेदार काश्तकार चले आ रहे है तथा इस वक्त मौके पर भी विवादित आराजी पर वादीगण ही बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा व काश्त है। विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त बतौर खातेदार काश्तकार होते हुए भी वादीगण को राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार काश्तकार अंकित किया जा रहा है जोकि गलत है। मुताविक कानून वादीगण ने विवादित आराजी की बावत हकूक खातेदारी प्राप्त कर लिये है। इसलिए वादीगण अपने आपको विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार वाहिस्सा बरावर घोषित करा पाने के अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में जो वादीगण को गैर खातेदार काश्तकार अंकित किया जा रहा है गलत तथा काबिल बेअसर है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 2369/0.27 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग के खातेदार काश्तकार वाहिस्सा बरावर है,राजस्व रिकार्ड में जो वादीगण को गैर खातेदार अंकित किया जा रहा है गलत व खिलाफ कानून है। राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 13.01.2016 को पैरोकार सरकार जबाव पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि दावा में यह अंकित नहीं किया गया है कि किस आराजी आवंटन किया गया था तथा आवंटन का सबूत क्या है। ग्राम खेडा ब्राह्मण कमाण्ड क्षेत्र में आता है। वादीगण द्वारा यह अंकित नहीं किया है कि वर्तमान आराजी के गत खसरा नम्बर कौन से है तथा कब्जा काश्त सबूत पेश नहीं किया है

दिनांक 16.2017 दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गई:–

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
2. आया वादीगण ने आवंटन सम्बन्धी रिकार्ड पेश नहीं किया है?
3. दादरसी?

साक्ष्यवादी में दिनांक 19.07.2017 को पी–डब्ल्यू–1,वादिया प्रेमवती के बयान दर्ज कराये गये। तहसीलदार डीग से कब्जे की रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट दिनांक 08.07.2024 अनुसार वर्णित आराजी में बर्षात होने से पानी भर जाता है इसी कारण से फसल नहीं बोई जाती है तथा मौके पर कब्जा गैर खातेदार का ही है। प्रकरण में सरकार जरिये तहसीलदार डीग की ओर से दिनांक 17.12.2024 को लिखित बहस पेश की गई, बहस में अंकित किया गया है कि वादीगण की ओर से गैर खातेदार से खातेदारी प्राप्त किये जाने हेतु वाद पेश किया गया है। खसरा नम्बर 2369 रकबा 0.27 का मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 की नकल अनुसार गत खसरा नम्बर 2323मिन 2 वीघा 10 विस्वा से बनना दर्शाया गया है जोकि नामा0 संख्या 740 से ग्राम पंचायत चारागाह भूमि से वादीगण के पिता से पति को आवंटित हुई है। पत्रावली मं प्रदर्श–पी–3 दर्ज है। भूमि चारागाह की है तथा ग्राम खेडा ब्राह्मण कमाण्ड क्षेत्र में आता है। पत्रावली में आवंटन आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।

दिनांक 12.01.2025 को वकील वादी ने मौखिक बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 2369 रकबा 0.27 ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग हमारे पति व पिता पदमा पुत्र गोपी को राज0 सरकार द्वारा आवंटन की गई थी। जिसका नामा0 मैने पेश किया था। नामा0 संख्या 740 सन/दिनांक 06.07.1972 को आवंटन हुआ था। आवंटन के बाद सम्बत 2031 की जमाबन्दी में हमारा नाम आ गया। हमारा लगातार कब्जा है। तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताविक हमारा ही कब्जा है। हमने जो गैर खातेदारी से खातेदारी का दावा पेश किया है उसे पैरोकार सरकार ने चारागाह भूमि बताई है। आज भी जमीन हमारे नाम है। हमें गैर खातेदार से खातेदारी दी जावे।

हमने वादीगण के वादपत्र,पैरोकार के जबाव,गवाह पीडब्ल्यू–1,प्रेमवती,तहसीलदार डीग की मौका रिपोर्ट,प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्बत 2067 से 2070 खसरा नम्बर 2369 रकबा 0.27 किस्म बारानी प्रथम प्रेमवती वेबा पदमा,सोहनलाल,वेदप्रकाश,किशनलाल पिस0 पदमा वाहिस्सा बरावर कॉम नाई सा0देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्बत 2021 से 2024 साविक खसरा नम्बर 2223

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 2 वीघा 10 विस्वा पदमा पुत्र गोपी नाई सा0देह गैर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2039 साविक खसरा नम्बर 2223 मिन रकबा 2 वीघा 10 विस्वा मकबूजा ग्राम पंचायत खेडा ब्राह्मण चारागाह से मुताविक आदेश कलक्टर साहव दिनांक 06.07.1972 को अलॉटी गैर खातेदार पदमा पुत्र गोपी नाई सा0देह दर्ज किया गया है। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 प्रदर्श–4 का अवलोकन एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गईः–

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। हमने प्रदर्श–1 का अवलोकन किया है जमाबन्दी सम्बत 2067 से 2070 में खसरा नम्बर 2369 रकबा 0.27 वादीगण के नाम है। वादीगण ने वाद दायर करते समय जमाबन्दी में इन्द्राज किशनलाल पिस0 पदमा को पक्षकार प्रकरण नहीं बनाया है। प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्बत 2021 से 2024 में मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4 अनुसार हाल खसरा नम्बर 2369 रकबा 0.27 के साविक खसरा नम्बर 2223 रकबा 2 वीघा 10 विस्वा,पदमा पुत्र गोपी नाई गैर खातेदार दर्ज हुआ है। प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्बत 2039 के अनुसार आवंटित भूमि की किस्म चारागाह थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है,जो आवंटन/नियमन के लिए उपलब्ध नहीं है। वादीगण द्वारा फसल काश्त के लिए कोई खसरा गिरदावरी साक्ष्य के रूप में संलग्न नहीं की है। तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताविक पिछले 10–12 बर्ष से भूमि पर पानी भरा होने से फसल काश्त नहीं हो रही है। मौके पर कब्जा गैर खातेदार का बताया है। लेकिन उसका साक्ष्य खसरा गिरदावरी नहीं होने के कारण प्रमाणित नहीं कहा जा सकता है। तहसीलदार ने भूमि के कमाण्ड क्षेत्र में आने,खसरा गिरदावरी नकल फसल काश्त की साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने आवंटन के समय भूमि की किस्म चारागाह होने के कारण दावा वादी निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 विरूद्व वादीगण प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–2, आया वादीगण आवंटन सम्बन्धी रिकार्ड पेश नहीं किया है?

वादीगण द्वारा आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 2 भी विरूद्व वादीगण प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–3, दादरसी?

उभय पक्षकार अपना अपना वाद खर्च स्वयं बहन करें। तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्व निर्णीत की गई है। समस्त विवरण/तनकीनुसार हम दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट को खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
डोग (डोग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है किः–

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner